बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अ0सं0:- 386550 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 30/08/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-45/17

श्री रवि प्रकाश (अनुक्रमांक-210271) का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर चयन होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-167414 दिनांक-25.10.2013 द्वारा वेतनमान रू. 9300-34800(पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रू0 4200/- में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में नियुक्त करते हुए बेगूसराय जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया था ।

प्रशिक्षणोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-200188 दिनांक-08.09.2014 के द्वारा श्री श्री रवि प्रकाश को प्रखंड-छौडाही (बेगूसराय) में ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया, जहां इन्हें कार्यहित में अपने ही वेतनमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद का भी प्रभार दिया गया ।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित सहायक प्राचार्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप श्री रवि प्रकाश की ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधिसूचना संख्या-SC/4724-87/17 दिनांक 21.12.17 द्वारा सहायक प्राचार्य (भूगोल) के पद पर नियुक्ति की गयी । उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप श्री रवि प्रकाश, ग्रामीण विकास पदाधिकारी द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अन्तर्गत आर0बी0एस0 कॉलेज, समस्तीपुर में सहायक प्राचार्य (भूगोल) के पद पर योगदान करने हेतु वर्त्तमान पद अर्थात-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर दो वर्ष का गहनाधिकार धारित करते हुए विरमित करने का अनुरोध किया गया ।

तदनुसार श्री प्रकाश के अनुरोध पर इनके ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहनाधिकार के बिन्दु पर वित्त विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गयी । उक्त के आलोक में वित्त विभाग द्वारा इस कथन के साथ की "गहनाधिकार, किसी कर्मी का उस पद पर स्थायी होना है, जिसके सेवा का संपुष्ट होना आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में श्री प्रकाश का विद्यमान पद पर गहनाधिकार नहीं बनता है" ।

श्री प्रकाश, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद से विरमित होने के प्रत्याशा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अन्तर्गत आर0बी0एस0 कॉलेज, समस्तीपुर में सहायक प्राचार्य (भूगोल) के पद पर दिनांक 19.05.18 को योगदान कर चूंके है ।

अत: श्री रवि प्रकाश, ग्रामीण विकास पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत उन्हें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अन्तर्गत आर0बी0एस0 कॉलेज,

समस्तीपुर में सहायक प्राचार्य (भूगोल) के पद पर योगदान करने हेतु निम्नांकित शर्त्तों के साथ दिनांक 18.05.18 (अपराह्न) के प्रभाव से विरमित किया जाता है :-

(i) श्री प्रकाश का विद्यमान पद-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहणाधिकार देय नहीं होगा ।

(ii) अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि का वेतनादि अनुमान्य नहीं होगा ।

(iii) बिहार सेवा संहिता के नियम 157 के तहत श्री प्रकाश घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है । यदि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का बकाया राशि होगा तो वह वसूलनीय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/08/18

(आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 386550 दिनांक:- 30/08/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-45/17

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

29/08/18

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 386550 पटना, दिनांक:- 30/08/18

प्रतिलिपि:- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधिसूचना संख्या-SC/4724-87/17 दिनांक 21.12.17 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

29/08/18

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 386550 दिनांक:- 30/08/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/08/18

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 386550 दिनांक:- 30/08/18

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना /जिला पदाधिकारी, पटना /उप विकास आयुक्त, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/8/18

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 386550 दिनांक:- 30/08/18

प्रतिलिपि:- श्री रवि प्रकाश, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह सहायक प्राचार्य (भूगोल), आर0बी0एस0 कॉलेज, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, पटना को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

29/08/18

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 386550 दिनांक:- 30/08/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

29/08/18

विशेष कार्य पदाधिकारी